न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 – 58/2018

1. गजानन्द 2. गणपत पुत्रगण स्व. डालुराम उर्फ डालाराम माली निवासीगण सर्वोदय बस्ती हाल आबाद रामपुरा बस्ती गली न.17 तहसील व जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण.....

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये (राजस्व) तहसीलदार बीकानेर

.....अप्रार्थी.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री बृजेश मदान , प्रार्थीगण।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–19/12/2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री बृजेश मदान अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 13.12.18 को प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थीगण का एक खेत खातेदारी मुरब्बा न.173/29 कि किला न.4 तादादी 1 बीघा कमाण्ड,मुरब्बा न.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 एवं 21/2,23/2 और 24/2 कुल तादादी 18 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 4.42 हैक्टेयर वाके चक 4 एनजीएम, पटवार क्षेत्र नगासर भू अभिलेख निरीक्षक कानासर तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत में किसी प्रकार कोई पुराना या नया रास्ता कायम नही है ना ही प्रार्थीगण के उक्त खेत में रास्ता होने की बाबत कोई नक्शा तरमीम है। अप्रार्थी के नुमाईन्दे दिनांक 29.10.2018 को प्रार्थीगण के खेत पर आकर खेत में नया रास्ता कामय करने की धमकी दी ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के नुमाईन्दों को समझाया कि प्रार्थीगण के खेत में कभी भी रास्ता कायम नही है। जबकि प्रार्थीगण ने पूर्व में ही अपने एक अन्य खातेदारी खेत चक 483–500 आरडी पटवार क्षेत्र हुसंगसर में स्थित कृषि भूमि से रास्ता दे चुके है। अब पुनः प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत में से रास्ता नहीं देगें लेकिन अप्रार्थी नही माने और प्रार्थीगण को धमकी देने लगे। अप्रार्थी को इस प्रकार की धमकी से प्रार्थीगण को यह अधिकार उत्पन्न हो गया कि वादी सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करक ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

हासिल करे कि प्रतिवादी ,प्रार्थीगण के वर्णित भूमि में किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नहीं करे ना ही राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करे तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करे। जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होता हो। कानूनन खातेदारी खेत में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थीगण बाध्य नही है ना ही अप्रार्थी को नया रास्ता कायम करने के कोई अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता कायम कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला अहम् नुकासान कारित होगा। जिसकी क्षति पूर्ति रूपये पैसों में आंकना कत्तई संभव नही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नही करे ना ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करे जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होता हो। अन्य कोई अनुतोष जो मुफिद प्रार्थीगण हो अप्रार्थी से दिलवाया जावे।

नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी स्टेट की और से पैरोकरराज उपस्थित व जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकार्ड की हद तक विवादित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होना स्वीकार करते हुए निवेदन किया की चक 4 एनजीएम मु.न.173/29 के किला न. 21/2,22/2,23/2,24/2 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि प्रत्येक में 0.18 बिस्वा भूमि है। एवंम किला नम्बर 21/1,,22/1,23/1,24/1 व 25/1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 0.10 बिस्वा राजकीय भूमि होकर खाता न. 1 में पगडडियो तथा रास्ते के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त मुरब्बा न.173/2 की दक्षिण सीमा पर नक्शा में रास्ता है एवं रिकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज है। जवाब स्टेट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई नया रास्ता कायम करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। अपितु मु.न.173/29 के किला न.21/1 से 25/1 तक रिकार्डड रास्ता पहले से ही कायम है तथा रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है। सरकारी रास्ते का अवरोध हटवाया जाना उचित है एवंम सरकारी रास्ता पर कानूनी तौर पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए स्थगन की मांग करते हुए निम्नाकित नजीरे प्रस्तुत की :–

1.RRT-2009(2)P-1406 (RB) 2. WLC-2014(UC)P-246 (RAJ) 3. WLC-2015(1)P-448 (RAJ) 4. WLC-2002(2)P-362 (B) 5. RLW-1987 P-575 (RAJ),6.CJ-2018(2)P-1317 (RAJ) तथा राज पैरोकार ने अपने जवाब को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र ,जवाब व बहस का मनन किया। प्रकरण मे प्रार्थी का दावा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी वास्ते प्रस्तुत किया गया है। हमारी राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त प्रकरण में चस्पा नही होती है। अप्रार्थी स्टेट जरिये पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुरब्बा न.173/2 की दक्षिण सीमा पर नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Scanned by CamScanner

रास्ता है एवं रिकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज है। जवाब स्टेट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई नया रास्ता कायम करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। अपितु मु.न. 173/29 के किला न.21/1 से 25/1 तक रिकार्डड रास्ता पहले से ही कायम है तथा रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है। सरकारी रास्ते का अवरोध हटवाया जाना उचित है एवंम सरकारी रास्ता पर कानूनी तौर पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः इन परिस्थितियों में प्रार्थी पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का भी प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19-12-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर

(रिया केजरीवाल) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 14:40:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: